न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–32/2017/आवेदन अं0 धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. छोटूराम पुत्र रामदेव जाति रैगर निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. पतासी देवी पत्नि छोटूराम जाति रैगर निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पेमा पुत्र भोलूरा जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तेजली पत्नि भोलूराम जाति मेघवंशी (बलाई) निवासिनी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. भगवानी पत्नि बनवारीलाल जाति बलाई निवासिनी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. घनश्याम पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. मनोज पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. हीरालाल पुत्र जगदीश जाति मीणा शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. प्रहलाद पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. गीगा पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
10. बनवारी पुत्र भगवाना जाति कुमावत निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. रामस्वरूप पुत्र भगवाना जाति कुमावत निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. सुरेश पुत्र भगवाना जाति कुमावत निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवाना जाति कुमावत निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
14. गुल्ली पत्नि भगवाना जाति कुमावत निवासिनी शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
15. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय सीकर।
16. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः

1. श्री रेखराज पारीक वकील प्रार्थी की ओर सें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 19.12.2019

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 2306, 2307, 2312 ता 2315 किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर ग्राम शिश्यू पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है तथा अपने हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त है। उक्त भूमियों का सीमाज्ञान तहसीलदार दांतारामगढ के आदेश सें पटवारी हल्का शिश्यू द्वारा दिनांक 29.05.2017 को करवारा गया जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थ्ज्ञी द्वारा अपनी फसल को आवारा पशुओं सें बचाने हेतु सीमा चिन्ह कायम कर तारबंदी करने लगा तो पड़ौसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या 4 ता 14 ने अवरोध उत्पन्न किया जबकि सीमाज्ञान का उक्त अप्रार्थीगणों को ज्ञान था। अप्रार्थीगण बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जो उक्त वर्णित भूमियों को हड़पना चाहते है तथा आवारा पशुओं को प्रार्थी की भूमियों में घुसा देते है। इससे तंग आकर तथा दिनांक 27.07.2017 को अप्रार्थीगणों द्वारा सीमाज्ञान में बताई गई सीमा के अनुसार तारबंदी करने सें मना कर देने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार कर ग्राम शिश्यू की भूमि खसरा नम्बर 2306, 2307, 2312 ता 2315 किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2017 के पत्थरगढी हेतु आग्रह किया।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम शिश्यू पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2306, 2307, 2312 ता 2315 किता 6 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

में प्रार्थी संयुक्त खातेदार है तथा उक्त भूमियों का सीमाज्ञान पटवारी हल्का शिश्यू दिनांक 29.05.2017 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि **प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।**

यह आदेश आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner